U;k;ky; lgk;d dyDVj ,oa mi[k.M vf/kdkjh] fcykMk
ftyk tks/kiqj

पीठासीन अधिकारी :– रामचन्द्र खटीक, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 110 / 2019

oknh	cuke	izfroknhx.k
रतनलाल पुत्र खूमाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मदनलाल पुत्र धन्नाराम 2. गणकी पत्नी धन्नाराम 3. महेन्द्रसिंह पुत्र चैनाराम जातियान सीरवी निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

nkok vUrxZr /kkjk 88 jktLFkku Vhusalh ,DV

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

fu.kZ; fnukad %&

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.5744 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। यह भूमि वादी के पिता खूमाराम पुत्र मोटाराम जी की खातेदारी की थी। खूमाराम जी के तीन पुत्र रतनलाल, धन्नाराम, चैनाराम है। खूमाराम जी का देहान्त 18 वर्ष पहले हो गया। उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता खूमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रतनलाल है। वादी के भाई धन्नाराम का देहान्त हो चुका है इस कारण उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस. बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1393 रकबा 5.4769 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। यह भूमि वादी के पिता खूमाराम पुत्र मोटाराम जी की खातेदारी की थी। खूमाराम जी के तीन पुत्र रतनलाल, धन्नाराम, चैनाराम है। खूमाराम जी का देहान्त 18 वर्ष पहले हो गया। उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता खूमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रतनलाल है। वादी के भाई धन्नाराम का देहान्त हो चुका है इस कारण उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4513 रकबा 0.4854 हेक्टेयर किस्म नहरी अवल स्थित है। यह भूमि वादी के पिता खूमाराम पुत्र मोटाराम जी की खातेदारी की थी। खूमाराम जी के तीन पुत्र रतनलाल, धन्नाराम, चैनाराम है। खूमाराम जी का देहान्त 18 वर्ष पहले हो गया। उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता खूमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रतनलाल है। वादी के भाई धन्नाराम का देहान्त हो

चुका है इस कारण उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1510 रकबा 1.9254 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 5391 रकबा 0.0162 हेक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा स्थित है। यह भूमि वादी के पिता खूमाराम पुत्र मोटाराम जी की खातेदारी की थी। खूमाराम जी के तीन पुत्र रतनलाल, धन्नाराम, चैनाराम है। खूमाराम जी का देहान्त 18 वर्ष पहले हो गया। उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता खूमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रतनलाल है। वादी के भाई धन्नाराम का देहान्त हो चुका है इस कारण उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 5390 रकबा 1.6585 हेक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता खूमाराम पुत्र मोटाराम जी की खातेदारी की थी। खूमाराम जी के तीन पुत्र रतनलाल, धन्नाराम, चैनाराम है। खूमाराम जी का देहान्त 18 वर्ष पहले हो गया। उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता खूमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रतनलाल है। वादी के भाई धन्नाराम का देहान्त हो चुका है इस कारण उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। वादी को घर में लाड प्यार से रतनाराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम रतनलाल लिखा हुआ है। जब वादी के पिता खूमाराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम रतनाराम लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम रतनलाल है। वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम रतनलाल लिखा हुआ है और जमाबन्दी में रतनाराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने रतनाराम के स्थान पर रतनलाल नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी रतनलाल एवं रतनाराम एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1390, 1817, 1393, 4513, 1510, 5391, 5390 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में रतनाराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से रतनाराम पुकारते है, इस कारण वादी के पिता खूमाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम रतनाराम दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज रतनलाल नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.5744 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रतनाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रतनलाल का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1393 रकबा 5.4769 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रतनाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रतनलाल का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4513 रकबा 0.4854 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रतनाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रतनलाल का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1510 रकबा 1.9254 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 5391 रकबा 0.0162 के राजस्व रेकर्ड में रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रतनाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रतनलाल का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 5390 रकबा 1.6585 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम रतनाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रतनलाल का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किया गया और बार–बार रूक रूक कर आवाजे लगवायी गयी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से कोई अधिवक्ता एवं स्वय उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध तारीख पेशी दिनांक 25.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (एस.बी.) के खसरा नम्बर 1817, 1393, 4513, 1510, 5391, 5390 में वादी रतनलाल पुत्र खूमाराम की सयुक्त खातेदारी में स्थित है। इन खसरो में विरासत नामा.स. 736 भरते समय वादी रतनलाल का नाम रतनाराम दर्ज हो गया। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही रही। इस कारण वादी का साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1390 ग्राम भावी (एस.बी.), प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1817 ग्राम भावी (एस.बी.), प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1393 ग्राम भावी (एस.बी.), प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1510, 5391 ग्राम भावी (एस.बी.), प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 5390 ग्राम भावी (एस.बी.), प्रदर्श 6 आधारकार्ड रतनलाल पुत्र खूमाराम,

प्रदर्श 7 राशनकार्ड रतनलाल, प्रदर्श 8 बैंक डायरी रतनलाल आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम रतनलाल दर्ज किया हुआ है, राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी रतनाराम पुत्र खूमाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1393 रकबा 5.4769 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4513 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1510 रकबा 1.9254 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5391 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5390 रकबा 1.6585 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

vfUre fMØh o e|dne! bCrnkbl
¼vkMlj 21 :y 6&7 tkCrk nhokuh½

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास jkepUn! [kVhd] vkj-,-,l-

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रतनलाल पुत्र खूमाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मदनलाल पुत्र धन्नाराम 2. गणकी पत्नी धन्नाराम 3. महेन्द्रसिंह पुत्र चैनाराम जातियान सीरवी निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

nkok vUrxlr /kkjk 88 vkj-Vh- ,DV

राजस्व वाद संख्या :– 110/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1393 रकबा 5.4769 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4513 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1510 रकबा 1.9254 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5391 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5390 रकबा 1.6585 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रतनाराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र खूमाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।